

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर 3  
गई कार्रवाई  
वारे में टिप्पण  
और तारी  
सहित 3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल  
नामान्तरण अपील वाद सं०-10/2015-16

शिकन्दर शेख  
बनाग  
ईंगुस मोमिन वगै०  
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक शिकन्दर शेख पे०-स्व० इब्राहिम शेख, सा०-कटहलवाडी, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 215/2007-08 में दिनांक 05.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षान्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जिससे संतुष्ट होकर आवेदन को स्वीकृत करते हुए दिनांक 03.03.2016 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

मौजा	तौजी न०	रकवा
पियारपुर दियरा	144	00-08-00 धूर
	145	00-07-00 धूर

उभय पक्ष उपस्थित। फलस्वरूप उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि संदर्भित भूमि मौजा- पियारपुर दियरा जमाबंदी न० 145 अन्तर्गत रकवा 01-19-10 धूर जमीन गांग पंजी में अपीलार्थी का नाम दर्ज है। एवं उनके द्वारा वर्ष 2008-09 तक लगान सरकार को आद किया गया है। साथ ही उनका स्पष्ट कहना है कि जमाबंदी न० 145 का कुल रकवा 01-19-10 धूर का वास्तविक मालिक अपीलार्थी है तथा बिना किसी बाधा के शांति पूर्वक भोग-दखल कर वर्ष 1955 से लगान अदा करते आ रहे हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्षगण का उक्त जमीन पर दखल नहीं है। फलस्वरूप उनके द्वारा उत्तरवादी प्रथम को प्रश्नगत जमाबंदी के जमीन का विक्री केवाला निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतएव उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा जमाबंदी न० 145 रकवा 00-07-00 धूर जमीन अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा निष्पादित नामान्तरण पूर्णतः गलत है।

अंत में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नामान्तरण वाद संख्या 215/2007-08 में दिनांक 05.10.2017 को आदेश पारित किये हैं। जबकि विक्रेता के पास जमाबंदी न० 145 अन्तर्गत जमीन पर दखल नहीं है, तथा अपीलार्थी के द्वारा उक्त जमीन का वर्ष 1955 से लगान अदा करते आ रहे हैं। साथ ही प्रश्नगत जमीन का हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के बिना स्थलीय जाँच एवं बिना नोटिस तामिला के अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामान्तरण वाद 215/2007-08 में दिनांक 05.10.2007 को आदेश पारित किये हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा उक्त नामान्तरण वाद में न्याय विरुद्ध आदेश पारित किये हैं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 215/2007-08 दिनांक 05.10.2007 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

आज उत्तरवादी उपस्थित। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता अपने समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किये हैं:-

1. मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न० 144 वर्ष 1978 एवं 2002 का लगान रसीद की छाया प्रति।



2. मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न० 145 वर्ष 1970 एवं 2002 का लगान रसीद की प्रति।

3. लगान रसीद एवं बिक्री केवाला संख्या 1685/2007 की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 215/2007-08 के माध्यम से मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न० 144 अन्तर्गत रकवा 08 कट्टा एवं जमाबंदी न० 145 अन्तर्गत रकवा 17 कट्टा कुल रकवा 01 बीघा 05 कट्टा जमीन का नामान्तरण किया गया है। जबकि अपीलार्थी के द्वारा जमाबंदी न० 145 अन्तर्गत रकवा 17 कट्टा जमीन के विरुद्ध यह नामान्तरण अपील वाद लाया गया है। फलस्वरूप उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संज्ञान में दिया गया कि किसी भी वाद में आंशिक स्थगण नहीं होता है। अतएव जमाबंदी न० 145 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आंशिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्षगण के पिता तुफानी शेख का नाम खतियान में दर्ज है। जिसके आधार पर उनके द्वारा सरकार को लगान अदा करता आ रहा था। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा चला आ रहा है। तुफानी शेख के मृत्युपरांत उनके वारिशान को उपयुक्त जमीन हिस्से में आया। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्षगण के पिता तुफानी शेख को मौजा पियारपुर जमाबंदी न० 144 में रकवा 01-19-05 धूर तथा जमाबंदी न० 145 में रकवा 01-19-10 धूर जमीन है। उनके द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्षगण के पास बिक्री केवाला संख्या 1685/2007 के द्वारा मौजा पियारपुर में जमाबंदी न० 144 अन्तर्गत रकवा 08 कट्टा एवं जमाबंदी न० 145 अन्तर्गत 17 कट्टा जमीन बिक्री किये हैं। साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि जमाबंदी न० 145 कुल रकवा 01-19-10 धूर अन्तर्गत रकवा 17 धूर जमीन को लेकर अपीलार्थी के द्वारा नामान्तरण अपील वाद लाया गया है। जबकि शेष 01 बीघा 02 कट्टा 10 धूर जमीन पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जबकि उक्त जमीन भी किसी अन्य के नाम नामान्तरण हो चुका है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जमाबंदी न० 145 के अन्तर्गत प्रश्नगत जमीन पर किसी भी प्रकार का अपीलार्थी का दखल एवं सरोकार नहीं है।

अंत में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहने के बाद ही केवाला संख्या 1685/2007 दिनांक 05.04.2007 का निष्पादन करते हुए उत्तरवादी प्रथम पक्षगण को जमीन बेचा गया है। बिक्री के उपरांत अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा उक्त बिक्री केवाला, अन्य दस्तावेज के अवलोकन तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम पक्ष उत्तरवादी के नाम विधिवत ढंग से नामान्तरण किया गया है। जो बिल्कुल न्याय संगत है।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामान्तरण अपील वाद को खारीज किया जाय।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि यह वाद स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित है। बिहार अधिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के अनुसार Tenants Ledger Register को अद्यतन करने का अधिकार अंचलाधिकारी के पास है।

अतः अंचल अधिकारी को निदेश है कि स्थल निरीक्षण भौतिक स्थिति के अनुरूप Tenants Ledger Register को अद्यतन कर एक माह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

भूमि सुधार उपसमहर्ता  
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्ता,  
राजमहल।

सापु-07 मुद्रा  
दिनांक - 16.01.2024